आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	अनुपालना
30.10.2019	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री नेमीचन्द डूडी ने विरूद्व अनावेदकगण बाबत लेने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नवलड़ी तहसील नवलगढ़ की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 210 रकबा 2.8200 है0 में आवेदक का 1/3 हिस्सा व अनावेदकगण नं0 1 का 1/3 हिस्सा, अनावेदकगण नं0 2 का 1/3 हिस्सा स्थित है। तथा इसी अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त विवादित भूमि का जब तक विधिवत विभाजन नही हो जाता तब तक अनावदेकगण नं0 1 लगायात 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि आवेदक के हिस्से की भूमि पर प्रकार का कब्जा न तो स्वयं करें ओर न ही अन्य किसी नौकर चाकर आदि से करवायें। विवादित भूमि के संबंध में रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये आवेदक वकील को मौखिकं तौर पर सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः उभय पक्ष को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम नवलड़ी तहसील नवलगढ़ की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 210 रकबा 2.8200 है0 में अनावेदकगण आगामी तारीख पेशी तक मौका की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अनावेदकगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 29.11.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	
29.11.19	पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक उपस्थित। वकील आवेदक एवं आवेदक स्वयं प्रार्थना पत्र को आदेशिका पर नोट प्रेस कर प्रा० पत्र आगे नहीं चलाने का निवेदन किया। अतः ~~पत्रावली~~ प्रार्थना पत्र नोट प्रेस के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली व फैसला शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। फैसला आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2019.12.01 16:50:20 IST
Reason: SelfAttested